[राज्य सभा में पुर:स्थापित रूप में]

2023 का विधेयक संख्यांक 57

[दि चीफ इलैक्शन कमीशनर एंड अदर इलैक्शन कमीशनर्स (अपॉइंटमेंट, कन्डीशन्स ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस) बिल, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि तथा निर्वाचन आयोग द्वारा कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया को विनियमित करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "मुख्य निर्वाचन आयुक्त" से संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड (2) के अधीन तथा इस अधिनियम के अनुसार नियुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभिप्रेत है ;

(ख) "निर्वाचन आयोग" से संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड (1) में निर्दिष्ट निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) "निर्वाचन आयुक्त" से संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड (2) के अधीन तथा इस अधिनियम के अनुसार नियुक्त कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त अभिप्रेत है ;

(घ) "खोजबीन समिति" से मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु व्यक्तियों का पैनल तैयार करने के लिए खोजबीन समिति अभिप्रेत है ;

(ङ) "चयन समिति" से वह चयन समिति अभिप्रेत है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करती है ।

अध्याय 2

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल

निर्वाचन आयोग ।

3. (1) निर्वाचन आयोग, निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,--

(क) मुख्य निर्वाचन आयुक्त ;

(ख) निर्वाचन आयुक्तों की ऐसी संख्या, जो राष्ट्रपति, समय-समय पर, नियत करें ।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति ।

4. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाएगी ।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की अर्हताएं ।

5. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे, जो भारत सरकार के सचिव के समतुल्य रैंक का पद धारण कर रहे हैं या धारण कर चुके हैं, तथा जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति होंगे, जिनके पास निर्वाचनों के प्रबंधन और उनके संचालन का ज्ञान और अनुभव हो ।

खोजबीन समिति ।

6. खोजबीन समिति का प्रमुख मंत्रिमंडल सचिव होगा तथा वह भारत सरकार के सचिव के रैंक से अन्यून दो अन्य व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, जिन्हें निर्वाचनों से संबंधित विषयों का ज्ञान और अनुभव हो, वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के रूप में नियुक्ति के लिए चयन समिति के विचार हेतु पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी ।

चयन समिति ।

7. (1) मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा, निम्नलिखित से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी,--

(क) प्रधानमंत्री – अध्यक्ष ;

(ख) लोक सभा में विपक्ष का नेता – सदस्य ;

(ग) प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाने वाला संघ का कोई केबिनेट मंत्री ।

स्पष्टीकरण—संदेहों को दूर करने के प्रयोजनों के लिए, यह घोषित किया जाता है कि जहां लोक सभा में विपक्ष के नेता को इस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां लोक सभा में सरकार के विपक्ष में एकल सबसे बड़े दल का नेता, विपक्ष का नेता समझा जाएगा ।

(2) मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, चयन समिति में मात्र किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी ।

चयन समिति की उसकी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति ।

8. (1) चयन समिति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्तों का चयन करने के लिए पारदर्शी रीति में उसकी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करेगी ।

(2) चयन समिति, खोजबीन समिति द्वारा पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति पर भी विचार कर सकेगी ।

पदावधि ।

9. (1) मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह पदग्रहण करता है, छह वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु का होने तक, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, पदधारण करेगा ।

(2) मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(3) जहां किसी निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहां उसकी पदावधि निर्वाचन आयुक्त तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में छह वर्ष की कुल अवधि से अधिक नहीं होगी ।

अध्याय 3

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें

वेतन, आदि ।

10. (1) मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें, मंत्रिमंडल सचिव के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों के समान होंगी :

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व पदधारण करने वाले मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों में, उनके अलाभकारी रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या किसी निर्वाचन आयुक्त के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख के ठीक पूर्व केन्द्रीय सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन, किसी पूर्ववर्ती सेवा की बाबत (नि:शक्तता या क्षति पेंशन से भिन्न) कोई पेंशन प्राप्त कर रहा था या प्राप्त करने के लिए पात्र होते हुए, उसने ऐसी पेंशन लेने का निश्चय

किया था, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या किसी निर्वाचन आयुक्त के रूप में सेवा की बाबत उसके वेतन में से निम्नलिखित को घटा दिया जाएगा,--

(क) उस पेंशन की रकम ; और

(ख) यदि पदग्रहण करने से पूर्व उसने ऐसी पूर्ववर्ती सेवा की बाबत उसे देय पेंशन के किसी भाग के बदले में उसका संराशीकृत मूल्य प्राप्त किया था तो पेंशन के उस भाग की रकम ।

(3) मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, मंत्रिमंडल सचिव को यथा अनुज्ञेय मंहगाई भत्ते के हकदार होंगे ।

(4) मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, उसके कार्यकाल के पूर्ण होने के समय उसके जमा में अर्जित अवकाश के पचास प्रतिशत के नकदीकरण के हकदार होंगं ।

(5) जहां मुख्य निर्वाचन आयुक्त और कोई निर्वाचन आयुक्त, उस रूप में नियुक्ति से पूर्व, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत हुआ था, वहां वह सकल अवधि, जिसके लिए वह उपयोग न किए गए अर्जित अवकाश के नकदीकरण का हकदार होगा, उस अधिकतम अवधि के अध्यधीन होगी, जो मंत्रिमंडल सचिव को अनुज्ञेय है ।

पदत्याग और हटाया जाना ।

11. (1) मुख्य निर्वाचन आयुक्त या कोई निर्वाचन आयुक्त, किसी भी समय, राष्ट्रपति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।

(2) मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्तों को संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड (5) के क्रमश: पहले और दूसरे परंतुकों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार के सिवाय नहीं हटाया जाएगा ।

छुट्टी ।

12. (1) मुख्य निर्वाचन आयुक्त या किसी निर्वाचन आयुक्त को उन नियमों के अनुसार छुट्टी मंजूर की जा सकेगी, जो उस सेवा को तत्समय लागू हों, जिससे वह उसकी नियुक्ति की तारीख से पूर्व संबंधित था, तथा वह धारा 13 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर ध्यान न देते हुए, ऐसी तारीख को अपने नाम जमा छुट्टी को अग्रनीत करने का हकदार होगा ।

(2) मुख्य निर्वाचन आयुक्त या किसी निर्वाचन आयुक्त को छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने और उसे मंजूर की गई छुट्टी को प्रतिसंहृत या कम करने की शक्ति, राष्ट्रपति में निहित होगी ।

पेंशन ।

13. (1) जहां मुख्य निर्वाचन आयुक्त या कोई निर्वाचन आयुक्त, सरकार की सेवा में था, वह उस तारीख से, जिसको वह, यथास्थिति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या किसी निर्वाचन आयुक्त के रूप में पद ग्रहण करता है, उस सेवा से सेवानिवृत्त समझा जाएगा ।

(2) मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त के रूप में उसकी नियुक्ति के समय भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में था, ऐसी नियुक्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर प्रयोग किए जाने वाले उसके विकल्प पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में उसकी नियुक्ति की तारीख से, उस सेवा को लागू, जिससे वह संबंधित था, नियमों के अधीन अपनी

पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे आहरित करने का हकदार होगा ।

(3) उस दशा के सिवाय, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त या कोई निर्वाचन आयुक्त त्यागपत्र द्वारा पद छोड़ता है, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए यह तभी समझा जाएगा कि उसने अपना पद छोड़ दिया है, जब—

(क) उसने धारा 9 में विनिर्दिष्ट पदावधि पूरी कर ली है ; या

(ख) वह पैंसठ वर्ष की आयु का हो गया है ; या

(ग) चिकित्सक द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाता है कि उसका पद छोड़ना उसकी अस्वस्थता के कारण आवश्यक है ।

साधारण भविष्य निधि में अभिदाय करने का अधिकार ।

14. मुख्य निर्वाचन आयुक्त या किसी निर्वाचन आयुक्त के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 के अधीन साधारण भविष्य निधि में अभिदाय करने का हकदार होगा ।

सेवा की अन्य शर्तें ।

15. इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधाओं, छुट्टी यात्रा रियायत, वाहन सुविधाएं और सेवा की ऐसी अन्य शर्तें, जो तत्समय, मंत्रिमंडल सचिव को लागू होती हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को लागू होंगी ।

अध्याय 4

निर्वाचन आयोग के कारबार का संव्यवहार

कारबार का संव्यवहार ।

16. निर्वाचन आयोग के कारबार का संव्यवहार, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

कारबार का निपटाया जाना ।

17. (1) निर्वाचन, आयोग, अपने कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच अपने कारबार के आबंटन को, सर्वसम्मत विनिश्चय द्वारा, विनियमित कर सकेगा ।

(2) निर्वाचन आयोग के सभी कारबार का संव्यवहार, यथासंभव, सर्वसम्मति से किया जाएगा और यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की राय में किसी विषय पर मतभेद है तो ऐसे विषय का विनिश्चय बहुमत के अनुसार किया जाएगा ।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

18. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र,

संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

रखा जाना ।

19. धारा 18 के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस आदेश में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं या तो दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह आदेश नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, वह ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु आदेश के इस प्रकार उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उस आदेश के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

20. (1) निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 इसके द्वारा निरसित किया जाता है । 1991 का 11

(2) इसके द्वारा निरसित अधिनियम के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

(3) उपधारा (2) में विशिष्ट विषयों के वर्णन को ऐसे निरसन के प्रभाव के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारण रूप से लागू होने के प्रतिकूल या उसे प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा । 1897 का 10

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों, निर्वाचन आयोग के कारबार के संव्यवहार आदि की प्रक्रिया से संबंधित मामले, वर्तमान में, निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 के द्वारा शासित होते हैं । उक्त अधिनियम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की अर्हताओं, उस रूप में नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु व्यक्तियों का पैनल तैयार करने के लिए खोजबीन समिति, उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने हेतु चयन समिति और अन्य आनुषंगिक उपबंधों के संबंध में उपबंध अंतर्विष्ट नहीं हैं ।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय ने, (अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ) 2015 की रिट याचिका (सिविल) 104 में घोषित किया है कि राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री, लोक सभा में विरोधी दल के नेता और ऐसा नेता न होने की दशा में, लोक सभा में विपक्ष में अधिकतम संख्या बल रखने वाले विरोधी दल के नेता और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा दिए गए परामर्श के आधार पर की जाएगी । पूर्वोक्त निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा उपबंधित उक्त मानक तब तक लागू रहेंगे, जब तक संसद् द्वारा विधि नहीं बना दी जाती है ।

3. प्रस्तावित मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023, अन्य बातों के साथ-साथ,—

(क) विधेयक में प्रयुक्त विभिन्न पदों को परिभाषित करने ;

(ख) मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, अर्हताओं, खोजबीन समिति, चयन समिति, पदावधि, वेतन, पद से त्यागपत्र और पद से हटाना, छुट्टी, पेंशन आदि ; और

(ग) निर्वाचन आयोग के कारबार का संव्यवहार और उसका निपटारा करने,

का उपबंध करता है ।

4. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
4 अगस्त, 2023

अर्जुन राम मेघवाल

वित्तीय ज्ञापन

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023 यदि अधिनियमित किया जाता है तो भारत की संचित निधि से किसी आवर्ती या अनावर्ती व्यय के अंतर्वलित होने की संभावना नहीं है ।

MGIPMRND—257RS(CRC)—08.08.2023.